राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत हिन्दूमल कोट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78 / 2017

1. बलकौरसिंह पुत्र श्री जसवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत पाईप लाईन

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री बलकौरसिंह स्वयं प्रार्थी
2. पैरोकार राज अप्रार्थी

– :: निर्णय ::– **दिनांक :–** 15-06-2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 51 व मुरब्बा नम्बर 64 में है उक्त कृषि भूमि मे से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25 / 2 में इन्जन युक्त एक टयुबवैल लगा रखा है जिससे कृषि भूमि सिंचित होती है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 51 से मुरब्बा नम्बर 64 में पानी लगानें के लिये अण्डर ग्राऊण्ड पाईप के जानें का रास्ता सरकारी रास्ता से जानें का प्राप्त करना चाहता है उक्त सरकारी रास्ता से बड़े व भारी वाहन आते जाते नहीं है।

अण्डर ग्राऊण्ड पाईप के खेतों में जानें से किसी काश्तकार को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है तथा सरकारी रास्ता के निचे से पाईप जानें पर किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी।

प्रकरण में माननीय न्यायालय जो भी शर्ते व नियम तय करेगी वह प्रार्थी मानने के लिये तैयार है। इस कार्य के लिये जो भी खर्चे होगे वह देनें के लिये प्रार्थी तैयार व तत्पर है। अण्डर ग्राऊण्ड पाईप की स्वीकृति के बाद ही प्रार्थी खुदवाई शुरू करेगा तथा अण्डर ग्राऊण्ड से किसी प्रकार की मानवीय क्षति या अन्य आर्थिक क्षति किसी प्रकार से अन्य काश्तकारों को नहीं होनें देगा इसके लिये समुचित व्यवस्था करेगा।

पाईप लाईन केवल मुरब्बा लाईन पर ही डालेगा इस दौरान किसी भी काश्तकारों की फसल को कोई नुकसान आदि नहीं पहुँचायेगा सम्पर्ण खर्चा खुदाई इत्यादी प्रार्थी स्वयं करेगा तथा पाईप डालकर भरवाई करवाकर निहित हितो की पालना करेगा।

अतः अण्डर ग्राऊण्ड पाईप डालनें की स्वीकृति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 25 में स्थित टयुबवैल से मुरब्बा नम्बर 64 में अपनी भूमि में अण्डर ग्राऊण्ड पाईप

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

A2/2

लाईन से पानी लगाना चाहता है। संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 64 ता 67 के किला नम्बर 21 ता 25 मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 21 ता 23 में स्वीकृत शुद्धा रास्ते से तथा मुरब्बा नम्बर 68 से 51 के किला नम्बर 25 में स्थित टयुबवैल तक नहर के पटड़े पर अण्डर ग्राऊण्ड पाईप लाईन लगाना चाहता है स्वीकृत रास्ता हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत तथा नहर के पटड़े हेतु जल ससाधन विभाग की अनाप्ति प्रमाण पत्र लिया जाकर स्वीकृति जारी करवाया जाना उचित होगा। स्वीकृत शुद्धा रास्ते में मौके पर पुलिया भी बनी हुई है।

प्रार्थी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर द्वारा जारी शशर्त स्वीकृति की प्रति पेश कर निवेदन किया कि पाईप लाईन डालनें की स्वीकृति प्रदान करनें हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद अवलोन पाया कि प्रार्थी को सिंचाई विभाग की भूमि पर पाईप लाईन डालनें शशर्त स्वीकृति प्रदान की जा चुकि है, जिसके सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जानी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 1 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 64 ता 67 के किला नम्बर 21 ता 25 मुरब्बा नम्बर 68 के किला नम्बर 21 ता 23 में स्वीकृत शुद्धा रास्ते के साथ साथ रास्ते की भूमि में 4 फुट गहराई में पाईप लाईन डालनें की स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

1. पाईप लाईन भूमि में चार फीट गहराई में दबाई जावेगी।
2. पाईप लाईन में किसी प्रकार की खराबी होनें के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान भूमि में रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाईप लाईन की मरम्मत के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो प्रार्थी द्वारा अपनें खर्चे पर रास्ते की मरम्मत की जावेगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा पाईप लाईन डालनें से पूर्व 4 फुट चौडाई का मुआवजा डी.एल.सी. दर से दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाना होगा।
4. भूमि का मालिकाना हक राज्य सरकार को होगा। इस सम्बंध में प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार की दावेदारी नहीं की जावेगी।
5. राज्य सरकार की योजना के अनुसार यदि पाईप लाईन उखाड़नें हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावेगा तो प्रार्थी को अपनें खर्चे से पाईप लाईन उखाड़नी होगी यदि प्रार्थी द्वारा पाईप लाईन नहीं उखाड़ी जाती है, तो विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के पाईप लाईन को उखाड़ दिया जावेगा जिसके समस्त खर्चे का भुगतान प्रार्थीगण से वसूल किया जावेगा।
6. रास्तें में आनें वाली पुलिया को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचाया जावगा पाईन लाईन डालते वक्त यदि पुलिया क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी मररम्त प्रार्थी द्वारा अपनें खर्चे पर करवाई जावेगी।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट के मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर